कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 4047/11–सी–FP/UP/Approach/13881/2015, लखनऊ, दिनांकः जून 26 ,2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 15.150 की बायीं पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Approach/13881/2015**)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/13, दिनांक–10.04.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–4780/14–1, दि0 22.06.2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 4047 /11–सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3, नोएड।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 4047 /11–सी FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ई—मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 4780 /14—1 (13881/2015) दिनांकःअलीगढ़, जूनः 22 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम—1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

TC

18
CCF/Noda
PA-C
23/06/23

विषयः— **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0—105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम—उखलना के खसरा सं0—1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भः— 1— भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक— 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/13 दिनांक 10.04.2023.
2. आपका पत्रांक— 3242/11सी—FP/UP/others/13881/2015 दि0 11.04.2023.
3—प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक—4665/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 09.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक—4665/अलीगढ़/ 13881/2015 दिनांक 09.06.2023 से इस कार्यालय में 04 प्रति में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार कर सुसंगत अभिलेख सहित 03 प्रति में संलग्न कर प्रेषित हैः—

S.No.	Objection	Reply
1	The State Govt. needs to initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India, A report with full details of violation, authority responsible for violation etc. needs to be submitted by the State Government.	प्रकरण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास न किये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्न प्रकार कार्यवाही की गई है। 1. श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी— प्रकरण में उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या सक्षम अधिकारी को दण्ड हेतु प्रेषित। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक—1)** 2. श्री इन्द्रजीत सिंह, सेक्शन अधिकारी— सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक—2)** 3. श्री परसराम, माली— सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण में दण्ड पारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक—3)**

		वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध विभागीय एच–2 केस निर्गत किया गया है एवं इस सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं की विस्तृत आख्या संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
2	The penalty for violation shall be eqal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा–निदेर्शो के पैरा 1.21 (ii) के तहत् उल्लंघन स्वरूप जितनी वन भूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पॉच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने हेतु दण्डात्मक एन.पी. वी. की गणना संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि–डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3 नोयडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

संलग्नक-1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक ५६८९ /2–1, दिनांकः अलीगढ़ः जून 03 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2864/2–1, दिनांक 10.04.2023

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की वांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण में श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरूद्ध वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक 1438/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 18.02.2021 में उल्लिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपने उत्तर दिनांक 18.02.2021 में अवगत कराया गया कि " अलीगढ़ रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में तैनाती की अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी पर ग्राम उखलाना खसरा सं0–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है, के क्रम में निवेदन करना है कि प्रार्थी की तैनाती अलीगढ़ रेंज में दिनांक 15.10.2018 को हुई जबकि नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रार्थी की तैनाती से पूर्व किया जा चुका था। उक्त प्रकरण मेरी जानकारी में आने पर तत्काल श्री परसराम, माली वीट प्रभारी व श्री इन्द्रजीत सिंह, सैक्शन प्रभारी धनीपुर द्वारा तत्काल विधिक कार्यवाही कर सुसंगत धाराओं में वन अपराध सं0–32/अलीगढ़/18–19 दिनांक 23.02.2019 केस दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपराध के संज्ञान में आने पर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, प्रार्थी उक्त अपराध हो जाने के लिए दोषी नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के दिनांक 27.02.2019 को चार्ज छोड़ने समय तक जॉच में था। प्रभाग से प्राप्त सूचना में भी केस की अद्यतन प्रविष्टि अंकित नहीं है। प्राप्त सूचना की छायाप्रति संलग्न कर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण से मुक्त करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

अपचारी कर्मचारी द्वारा स्वंय अपने उत्तर में लिखा है कि अक्टूबर 2018 से पूर्व नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका था अर्थात संरक्षित वन क्षेत्र में अक्टूबर 2018 से पूर्व अतिक्रमण हो चुका था तथा वन अपराध दिनांक 23.02.2019 को पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही तत्काल एवं वन अपराध घटित होने के बाद विलम्ब से करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतः श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के उक्त कथन से सहमति व्यक्त नहीं की जाती है एवं वह प्रकरण में दोषी है।

भवदीय,

03/06/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,अलीगढ़।

16.E/d/EC.Branch/General.Letter/Spastikaran &Karanbatao Notice/Showcause Notice Durgpal Singh, Forest Guard

संलग्नक-2

कार्यालय, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

अनूपशहर रोड़ कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़ पिन–202122, ई–मेलः cfaligarh@gmail.com दूरभाष–0571–2970088

वनादेश सं0– 05 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ःजुलाई 15 ,2022

आदेश

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी धनीपुर सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 1437/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 18.12.2019 जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 2394/2–1, दिनांक 27.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया। इस कार्यालय के पत्रांक 3421/2–1, दिनांक 26.06.2020 द्वारा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 18.12.2019 के क्रम में आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 138/2–1, दिनांक 13.07.2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दु, अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

कारण बताओ नोटिस में आरोपित बिन्दुः–

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी धनीपुर सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार आयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की वॉयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं0–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया। प्रस्ताव में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30, दिनांक 12.04.2018 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वन भूमि के के0एम0एल0 फाइल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके क्रम में प्रस्तावित स्थल की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार आयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट के आने जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड़ का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार आयल लि0 द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की वॉयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं0–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर एच–2 केस संख्या–32/18–19/अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लिए दोषी है।

अपचारी कर्मचारी का उत्तर दिनांक 18.12.2019

प्रार्थी दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन में सैक्शन प्रभारी का कार्यभार देख रहा है। प्रार्थी द्वारा धनीपुर सैक्शन का कार्यभार देखने के उपरान्त एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की वॉयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण करने का प्रार्थी द्वारा एच–2 केस जारी किया गया, जिसका रेंज केस संख्या–32/2018–19/अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 है, जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन का कार्य देखना शुरू किया था और नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण 31.01.2016 से पहले किया गया है, क्योंकि कार्यालय अपर जिलाधिकारी

प्रशासन, अलीगढ़ के पत्रांक संख्या–1047/जि0पू0अ0/पेट्रो0अनु0/15, दिनांक 31.01.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र(सप्लाई आदेश) जारी किया गया है।

अतः प्रार्थी के कार्यकाल से पूर्व स्थापित की गयी पेट्रोल पम्प पर तत्कालीन बीट प्रभारियों व सैक्शन प्रभारियों, वन क्षेत्राधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है तथा उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कार्यकाल के समय में विधिवत कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी के संलग्न साक्ष्यों पर विचार करते हुए निर्दोष करने की कृपा करें।

<u>प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्याः–</u>

एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के विरूद्ध वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक 1437/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 18.12.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा अपने उत्तर दिनांक 18.12.2019 में अवगत कराया गया कि "प्रार्थी दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन में सैक्शन प्रभारी का कार्यभार देख रहा है। प्रार्थी द्वारा धनीपुर सैक्शन का कार्यभार देखने के उपरान्त एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण करने का प्रार्थी द्वारा एच–2 केस जारी किया गया जिसका रेंज केस सं0–32/अलीगढ़/18–19 दिनांक 23.02.2019 है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन का कार्य देखना शुरू किया था और नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग का निर्माण 31.01.2016 से पहले किया गया है क्योंकि कार्यालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन अलीगढ़ के पत्रांक 1047/जि0पू0अ0/पेट्रो0अनु0/15 दिनांक 31.01.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र (सप्लाई आदेश) जारी किया गया है। श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के उक्त कथन से सहमति व्यक्त की जाती है एवं वह प्रकरण में दोषी नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य करने के क्रम में अपचारी कैर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में रेंज एच–2 केस संख्या–32/अलीगढ़/18–19 दिनांक 23.02.2019 जारी किया गया तथा नवीन रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग का निर्माण दिनांक 31.01.2016 से पहले किये जाने के फलस्वरूप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा आख्या में अपचारी कर्मचारी को प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण में निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर, अपचारी कर्मचारी के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या तथा समस्त साक्ष्यों व अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद(सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रचलित "कारण बताओ नोटिस" के प्रकरण को बिना दण्ड समाप्त करते हुए एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

<u>पत्रांक 117 /2–1, समदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
3. गार्ड बुक/पत्रावली।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

संलग्नक-3

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 4640 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ः जून 07- ,2022

आदेश

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की अलीगढ़ रेंज के अन्तर्गत श्री परसराम, माली के हरदुआगंज वीट में प्रभारी के रूप में तैनात रहने की अवधि में वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 3832/2–1, दिनांक 03.05.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दु का विवरण निम्न प्रकार है :–

कारण बताओ नोटिस में आरोपित बिन्दु :–

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की अलीगढ़ रेंज के अन्तर्गत श्री परसराम, माली के हरदुआगंज वीट में प्रभारी के रूप में तैनात रहने की अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/34/2018/FC/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपित्त लगायी गई है। प्रस्तावित वन भूमि के के0एम0एल0 फाइल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। प्रस्तावित स्थल से पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण दिनांक 20.02.2019 के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। इस प्रकरण में आप अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें क्योंकि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया। उक्त कार्य समयबद्ध है। उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपचारी कर्मचारी श्री परसराम माली (सेवानिवृत्त) द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। प्रकरण में निर्गत कारण बताओ नोटिस एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित न करना तथा समस्त साक्ष्यों व अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपचारी कर्मचारी श्री परसराम, माली (सेवानिवृत्त) को निन्दित करते हुए प्रकरण को एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

05/06/23

(दिवाकर कुमार वरिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक: 4640 /2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वनाधिकारी अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति श्री परसराम, माली (सेवानिवृत्त) को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

05/06/23

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

17 E/d/EC Branch/General Letter/Spastikaran &Karanbatao Notice/Showcause Notice Durgpal Singh, Forest Guard

संलग्नक-4

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी० चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 हेतु प्रस्तावित 0.0768 है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु बिना सक्षत स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी० चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No.: FP/UP/Others/13881/2015 प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

(1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरणः–

(A) **स्थल का विवरण**–अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल, जनपद– अलीगढ़

(B) **भूमि का क्षेत्रफल**– 0.0768 है0

(C) **मानचित्र**– प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।

(D) **अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण**– प्रकरण में किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं था। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

(2) रिपोर्टः– एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेगें जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/Others/13881/2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि संस्तुति संहित उ0प्र0 शासन स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी हैं। प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

1. श्री अतुल कुमार – प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि0, (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर–16 बी, आवास विकास, सिकन्द्राबोदला, आगरा।

(3) वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण–

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा एच02 केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि 0.0768 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।

(4) यदि किसी भूल–चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी–

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2015 में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 **(संलग्नक–1)** को निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। जिसके उपरांत ही प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 14.12.2015 को समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया।

परन्तु क्षेत्रीय कर्मचारियों के मौका निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 में पाया गया कि अलीगढ़ रेंज द्वारा केस संख्या–32/18–19/अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 **(संलग्नक–2)** इजरा किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 **(संलग्नक–3)** को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम.डी.आर.–105) किमी० चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1047/एन.ओ.सी./पेट्रो०अनु०/16 दिनांक 31.03.2016 **(संलग्नक–4)** द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निर्गत अनापत्ति के पश्चात् किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी है, अनापत्ति पत्र में रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनापत्ति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया एवं रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु किसी भी स्तर से अनापत्ति निर्गत न होने के पश्चात् भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया। अतः प्रकरण में किसी भूल–चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

09/06/21

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

Ro-(4/1) (46)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Essar Oil Limited for diversion (under FCA-1980) of 0.0768 ha. of forest land for non-forestry purpose. The Project envisage the use of forest land for construction of approach road to new retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km Ch. 15.150 at Khasra no. 1470, Village-Ukhlana, District- Aligarh. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 26/11/2015............

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest measuring 0.0768 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. - Nil.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Nil

a. The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. **(TRUE)**

b. it has been found that the user agency has violated the Forest (conservation) act, 1980 provisions. a detail report as per para 1.9 of chepter-1; para C of handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached **(FALSE)**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.(RECOMMENDED)

Place....Aligarh..............
Dated .....26/11/2015.........

(Signature)

(D.P. Gupta)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Aligarh.

N.B.

x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number- 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

G:\D.M. matter Ukhlana Retail Outlet\CA Scheme.doc

विवाद सं० 32/18-19/ अलीगढ़ बुक सं० 6 क्रम संख्या 296 पृ० (4/2)

विभागीय बाद सं०......................

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन).... अलीगढ़ ....

भा०व०अ० 1927 की धारा 32(ज) 32(k) 32(l) 33(e) 33(1H)
अन्य अपराध व०सं० अधि० प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० .... दिनांक 23/2/2019 अधिक्षेत्र राजि... अलीगढ़
अधि० 1980 की धारा – 2

1– नाम, पिता का नाम और निवास–स्थान — प्रभागीय प्रबन्धक नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार आयल लि०) प्रथम तल राजेन्द्र स्पेश सेक्टर 16बी आवास विकास सिकन्दरा योजना आगरा।

2– साक्षी का नाम श्री परशुराम माली

3– कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — बिना अनुमति के बीट वाणिकी संरक्षित वन भूमि अलीगढ़-रामघाट रोड कि०मी० 15.150 पटरी बायीं पर क्षे० 0.0768 है० वन भूमि को सम्पर्क मार्ग में प्रयोग करना।

4– मूल्य

5– चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टोगेशन) के सम्बन्ध में बिशेष कथन

6– प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,
निवेदन है कि आज दिनांक 23/2/19 समय 3.00 P.M. को मैं इन्द्रजीत सिंह वन दरोगा हमराह श्री परशुराम माली बीट प्रभारी हरदुआगंज के साथ अलीगढ़ – रामघाट रोड कि०मी० 15.150 की बायीं पटरी पर एस्सार आयल लिमिटेड के रिटेल आउट लेट को चैक किया गया। उपरोक्त आयल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रयोग 0.0768 है० वन भूमि के प्रयोग की परमीशन मांगी तो इनके द्वारा वन भूमि और वाणिकी कार्यों में प्रयोग वन भूमि की अनुमति नहीं ली गई है। अतः इनके द्वारा भा०व० अ० 1927 की धारा 32(ज), 32(k), 32(l), 33(e) 33(1H) एवं वन संरक्षण अधि० 1980 की धारा – 2 का घोर उल्लंघन किया गया है।
अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 23/2/19
(इन्द्रजीत सिंह)
सं० प्र० वनीय

परशुराम माली

श्री उमेश कुमार, वनरक्षक
जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
अलीगढ़ रेंज

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Essar Oil Limited for diversion (under F 1980) of 0.0768 ha. of forest land for non-forestry purpose. The Project envisage the use of forest land construction of approach road to new retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km 15.15 Khasra no. 1470, Village-Ukhlana, District- Aligarh. The site inspection of the land involved in the proposal been done by me on dated 23.10.2019

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest measuri 0.0768 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is bares minimum required for the project..

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. - Nil.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument i located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Nil

a.The user agency has violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no wo has been started without proper sanction.

b. it has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. a detail report as per para 1.9 of chepter-1; para C of handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place-Aligarh.

Dated – 23-10-2019

(N.P. Upadhyay)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Aligarh.

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number- 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh

संलग्नक-4/4

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़।

पत्रांक 1097/एन0ओ0सी0/पेट्रो0अनु0/16, दिनांक: 31/03/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

डिवीजनल मैनेजर, यू0पी0 (वेस्ट) एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा ने अपने पत्र संख्या ईओएल/यूपीडब्ल्यू/03/09/345/यूपी-1701, दिनांक 09.03.2015 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि खसरा/गाटा संख्या-1470, ग्राम उखलाना, तहसील कोल, जनपद-अलीगढ़ पर अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) के कि0मी0-16 (चैनेज 15 150) के बांयी तरफ एक नवीन रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल का मानचित्र संलग्न करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रॉक 262/जि0पू0अ0/ एन0ओ0सी0-15, दिनॉक 23.03.2015 के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी-कोल, जिला रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, अलीगढ़, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अलीगढ़ से रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त विभागों/अधिकारियों द्वारा जारी संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ की आख्या के आधार पर पर खसरा/गाटा संख्या-1470, ग्राम उखलाना, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर नवीन एच0एस0डी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

प्रतिबंध एवं शर्ते

1- किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर विभागों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

2- सरकार किसी भी योजना के जनहित में लागू होने पर दी गई अनुमति मान्य नहीं होगी।

3- वर्तमान निर्माण में यदि किसी प्रकार की रद्दो-बदल की जाती है तो उसकी अनुमति पुनः लेनी होगी।

4- भारतीय विस्फोटक एवं यू0पी0 फायर सर्विस 1944 के अन्तर्गत धाराओ एवं नियमो एवं उपनियमों का डिवीजनल मैनेजर, यू0पी0 (वेस्ट) एस्सार आयल लि0, ए-5, सेक्टर-3 नोएडा द्वारा पालन किया जायेगा।

5- भण्डारण पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 एवं ओ0आई0एस0डी0 225 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

क- पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिंग की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 1976 के अनुरूप होनी चाहिए।

ख- विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाईप "जो स्पॉक प्रूफ हो" से होकर गुजारे जाये। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई0एस0सी0बी0 (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था की जाये। स्थल पर निम्न अग्नि सुरक्षा प्राविधानों का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, जैसे ए0बी0सी0फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 10 किग्रा0 2-2 अदद, सी0ओ0टू0एक्सटिंग्यूसर क्षमता 4.5 किग्रा0 02 अदद, फायर बकेट मयस्टैण्ड 06 के सैट में 02 सैट, सावेज (बेलचा) 02 अदद, बालू से भरी हुई 12 अदद स्टैण्ड रखी जाये, फस्ट एड बॉक्स मय औषधि 02 अदद, धूम्रपान निषेध पट्टिका मुख्य स्थानों पर, वाटर जैल स्टैण्डर्ड साइज 01 अदद, इमरजेन्सी प्लान ओ0आई0एस0डी-225 के अनुसार होना चाहिए तथा पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओ0आई0एस0डी-225 के अनुसार होनी चाहिए। आपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए। निकट फायर स्टेशन/थाना चौकी, आपातकालीन टेलीफोन नं0, पुलिस कण्ट्रोल रूम नं0-100, 101, 9454418483 व 9454418482 बोर्ड अंकित किये जायें। तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बन्द करवा ले, मोबाइल फोन भी बन्द रखवाये जायें। पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पेट्रोलियम रूल्स के मानको के अनुरूप होने चाहिये व ओवर हैड इलैक्ट्रिक लाइन प्रस्तावित के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिक सिटी रूल्स एवं रेगुलेसर के अनुरूप होनी चाहिए। भण्डारण प्रांगण में कार्यरत स्टाफ को पेट्रोलियम पदार्थो की प्रकियाओं एवं उनके गुणदोषों के साथ.

अपर ...

छ. रिटेल आउटलेट में प्रस्तावित 15 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सैट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित एकॉस्टिक चैम्बर की स्थापना की जाये तथा डी0जे0 सैट संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन की वायुमण्डल में निकासी हेतु एक चिमनी जो कि चैम्बर की छत से तल से 01 मीटर ऊची हो, स्थापित की जाये तथा ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप हो। बोर्ड की शर्तो के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

ज. रिटेल आउटलेट विस्फोटक विभाग की निर्धारित गाइड लाईन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

झ. रिटेल आउटलेट द्वारा अग्निशन विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनॉक 04.04.2015 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ट. रिटेल आउटलेट की स्थापना इस प्रकार से की जाये कि वाहनों की पार्किंग की समस्या उत्पन्न न हो जिससे वाहन आवागमन से रोड़ जाम की स्थिति की सम्भावना न रहें।

8— आवेदक को प्रस्तावित बफर स्ट्रिप, रिटेल आउटलेट/डिस्पेन्सर यूनिट एवं निर्माण की अनुमति की संस्तुति सड़क मध्य से कमशः 22.86 मी0, प्रथम रिटेल आउट की दूरी 32.86 मी0, द्वितीय रिटेल आउट की दूरी 49.86 मी0 पर निम्न शर्तो के साथ दी जाती है :— आवेदक को निर्माण, पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के पश्चात अपने निजी खर्चे से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के आधार पर करना होगा तथा 15 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (ऐनेक्जर—3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है, एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित 03 माह के अन्तर्गत जमा करा दी जाये। आवेदक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प को लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जाये। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाय। बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊचांई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाए। पेट्रोल पम्प के प्रेव्ड ऐरिया का लेबिल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से 0.50 मी0 नीचे रखा जाए। आवेदक द्वारा निर्माण सामिग्री लो0नि0वि0 की सीमा में न रखी जाऐ। मार्ग के मध्य से 22.86 की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण न किया जायें। प्रस्तावित स्थल के 300 मीटर दोनों ओर कोई रोड़ कोसिंग नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त के अलावा परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्ल्यू0/एन0एच0 33023/19/99 डीओ—111 दिनॉक 31.08.2000 व आर0डब्ल्यू0/एन0एच0 33023/19/99 डीओ—111 दिनॉक 25.09.2003/17.10.03 में दी गई गाइड लाइन एवं शर्तो का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त दिये गये दिशा—निर्देशों एवं विभागों द्वारा दी गयी शर्तो एवं समय—समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र निष्प्रभावी माना जायेगा।

<u>संलग्नक : मानचित्र की प्रति।</u>

(संजय चौहान)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
अलीगढ।

अपर जि...
अ...